उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज ईकोसिस्टम स्ट्रैन्थनिंग (यूपीएग्रीज़) परियोजना

कृषक उत्पादक समूहों के गठन एवं संचालनार्थ दिशानिर्देश

यूपीएग्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,लखनऊ–226010

पी0ई0एक्सः 2720718, 2721258, ईमेलः updasp12@gmail.com

टोल फ्री नम्बरः1800–1800–118, वेबसाईटः www.updasp.org

उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े कृषि–प्रधान राज्यों में से एक है जो धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन जैसी फसलों का प्रमुख उत्पादक है। राज्य की 88 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि सिंचित है जिसमें प्रमुख रूप से ट्यूबवेल और नहरों का उपयोग होता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी है लेकिन इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता औसतन कम है। राज्य में छोटे और सीमांत कृषकों का प्रभुत्व है जिनके पास औसतन 1 से 2 हेक्टेयर या उससे भी कम कृषि भूमि है। ये किसान जलवायु परिवर्तन, फसल सुरक्षा एवं तकनीकी संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा अनेक नई कृषि सुधार योजनाएं आरंभ की गई हैं जिनमें से विश्व बैंक समर्थित यूपीएग्रीज परियोजना प्रमुख रूप से संचालित है। इस परियोजना से कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने में सहयोग मिलेगा। परियोजना के अन्तर्गत चयनित क्षत्रों में गठित कृषक उत्पादक समूहों को उन्नत प्रजाति के उपयुक्त बीजों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना, कृषि संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना, बाजार मानकों के अनुरूप गुणवत्ता में सुधार, चुनिन्दा कृषि उत्पादों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, कृषि क्षेत्र के लिए विस्तृत डिजिटल प्लेटफार्म विकसित करना, कृषि बाजार श्रृंखला की कमियों को दूर करना, नई तकनीकी एवं बेहतर बाजार के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित कराना एवं कृषि वित्त उपलब्धता में अपेक्षित सुधार किया जाना मुख्य रूप से हैं।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूपीएग्रीज़ परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में पूर्वांचल के 21 जनपदों–वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संतकबीरनगर, सिदार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराईच श्रावस्ती तथा बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों–झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा एवं हमीरपुर जनपदों में कृषक उत्पादक समूहों का गठन किया जाना है।

कृषक उत्पादक समूहों के गठन एवं संचालनार्थ दिशानिर्देश

1. यूपीएग्रीज परियोजना क्षेत्र हेतु चिन्हित 28 जनपदों के 123 विकासखण्डों के 3690 गांवों में कृषक उत्पादक समूहों का गठन परियोजना अन्तर्गत सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जायेगा।
2. यूपीएग्रीज परियोजना क्षेत्र में कृषक उत्पादक समूहों (FPG) का गठन लगभग 10–20 हेक्टेयर कन्टीगुअस क्षेत्रफल के कृषकों को सहभागी बनाते हुए किया जायेगा।
3. कृषक उत्पादक समूहों (FPG) में सहभाग करने वाले कृषक किसी एक समूह की ही सदस्यता ग्रहण कर सकेंगे एवं सदस्यों का स्थानीय बैंक में खाता होना चाहिए, खाता न होने की स्थिति में सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त यथाशीघ्र खाता खोला जाना आवश्यक होगा।

4. परियोजनान्तर्गत कृषक उत्पादक समूहों का गठन प्रत्येक फसल चक्र में ली जाने वाली प्रमुख फसलों तथा परियोजना में चयनित फसलों के आधार पर चयनित ग्रामों में सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जायेगा।
5. कृषक उत्पादक समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन समूह के सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। यदि एक पद के लिए दो से अधिक सदस्य दावेदार होते हैं, तो वैसी स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
6. कृषक उत्पादक समूह का नाम सदस्यों की सहमति से रखा जायेगा। परियोजनान्तर्गत प्रत्येक समूह की आई. डी./कोड निर्धारित की जायेगी।
7. कृषक उत्पादक समूह का खाता स्थानीय बैंक में समूह गठन के उपरांत खोला जायेगा एवं खाते का संचालन समूह द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।
8. समूह संचालनार्थ सदस्यों की सहमति से पदाधिकारी चुनें जायेंगे। ये पदाधिकारी सामान्यतया दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त समूह के सदस्यों की सहमति से परिवर्तित किये जायेंगें जिससे सभी सदस्यों को नेतृत्व का अवसर मिल सके तथा उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके।
9. नियमित अंतराल पर समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक रूप से होगी। बैठक में सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जायेगी। बैठक की कार्यवृत्ति कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जायेगी। कोई भी नियम या प्रस्ताव सदस्यों की सहमति से पारित किया जा सकेगा।
10. कृषक उत्पादक समूह की बैठक का विवरण सम्यक रूप से अभिलेखित किया जायेगा।
11. प्रत्येक समूह द्वारा सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की समूहवार कार्य योजना तैयार की जायेगी, जिसमें परियोजना अवधि में समूह द्वारा की जाने वाली गतिविधियों एवं समयावधि का विवरण होगा।
12. कार्य योजना पर की गयी कार्यवाही एवं प्रगति की समीक्षा समूह द्वारा अपनी मासिक बैठकों में की जायेगी। जिसका विवरण कार्यवाही पुस्तिका में अभिलेखित किया़ जायेगा।
13. समूह द्वारा कृषि आधारित उद्यम गतिविधियों की संबन्धित क्षेत्र में व्यवहारिकता देखते हुए समूह के सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण कार्य योजना में अभिलेखित किया जायेगा।
14. कृषक उत्पादक समूहों द्वारा भविष्य में प्रत्येक विकासखण्ड के समूहों का नेटवर्क स्थापित करते हुए कृषक उत्पादक संगठन (FPO) बनाकर कृषि सहयोग केन्द्र, फार्म मशीनरी बैंक आदि की स्थापना एवं आवश्यक कृषि निवेशों की उपलब्धता कराये जाने सहित अन्य व्यवसायिक गतिविधियां आदि की जा सकेंगी।
15. कृषक उत्पादक समूह द्वारा की जा रही कृषि गतिविधियों/उद्यम हेतु परियोजनान्तर्गत स्वीकृत निवेश जैसे खाद, बीज, कृषि यंत्र, फसल भंडारण, विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन इत्यादि की सुविधा नियमानुसार निर्धारित आवेदन–पत्र पर अपना आवेदन पूर्ण कर सहभागी संगठन तथा जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई के सत्यापन उपरांन्त परियोजना के कार्यालय में जमा करने पर पी0एम0यू0 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्राप्त किया जा सकेगा।

16. कृषक उत्पादक समूह द्वारा यूपीएग्रीज़ परियोजना के साथ–साथ राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कृषकों हेतु संचालित योजनाओं से नियमानुसार कन्वर्ज किया जा सकेगा।
17. समूह के सदस्यों के द्वारा समूह हेतु बनाई गई नियमावली को बहुमत के आधार पर संशोधित किया जा सकेगा।
18. समूह का विघटन समूह की कुल देनदारी एवं लेनदारी के समायोजन के पश्चात दो तिहाई मतों से किया जा सकेगा।
19. कृषक उत्पादक संगठन (FPO) की वार्षिक आम सभा आयोजित की जायेगी जिसमें सदस्यों द्वारा अर्जित लाभांश आदि का वितरण प्रस्तुत किया जायेगा।
20. कृषक उत्पादक समूहों/संगठनों को यूपीएग्रीज परियोजनान्तर्गत निर्धारित पर्यावरण नीति के अनुसार उर्वरक/फफूंदनाशी/कीटनाशी/खरपतवारनाशी एवं सिंचाई जल आदि का इष्टतम प्रयोग करते हुए पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया जायेगा।

कृषक उत्पादक समूह के पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व

अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

1. आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में सदस्यों द्वारा लाये गये प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कराना।
3. समूह के सदस्यों को कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं बड़े उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक सहयोग करना।
4. समूह के कृषि संबंधी उद्यम हेतु सदस्यों के प्रशिक्षण एवं निवेश की समय से व्यवस्था करना।
5. कृषि क्षेत्र के उद्यम में विविधीकरण एवं विस्तार हेतु प्रयास करना।
6. समूह के कृषि संबंधी उद्यम के उत्पादों हेतु उचित बाजार व्यवस्था के लिए प्रयास करना।
7. संयुक्त हस्ताक्षरी के रूप में बैंक खाते का संचालन करना।
8. समूह के कार्यों का सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

1. अध्यक्ष की सहमति से बैठकें आयोजित करना एवं बैठक की कार्यवाही को अभिलेखित करना।
2. समूह द्वारा निर्धारित नियमों का पालन तथा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

1. समूह के खाताबही का रख–रखाव करना।
2. संयुक्त हस्ताक्षरी के रूप में बैंक खाते का संचालन करना।

3. बैंकों से समूह के सदस्यों को ऋण दिलवाने में सहयोग प्रदान करना।

समूह सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

1. समस्त सदस्य समूह में एकता एवं सहयोग की भावना रखेंगे।
2. समस्त सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे।
3. समस्त सदस्य आवश्यक संससाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से उपयोग एवं प्रबन्धन करेंगे।
4. समस्त सदस्य कृषि आधारित गतिविधियों के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगें एवं एक दूसरे का सहयोग करते हुए नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे।
5. समस्त सदस्य समूह की कार्ययोजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सहभाग करेंगे एवं तथ्यों के आधार पर उचित कार्यवाही करेंगे।
6. समस्त सदस्य समूह द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करेंगे।
7. समूह के पदाधिकारियों के चयन करने का अधिकार समूह के सदस्यों में निहित होगा।

कृषक उत्पादक समूह (FPG) संचालन के मुख्य बिंदु –

1. कृषक उत्पादक समूह का गठन –

1. यूपीएग्रीज परियोजना क्षेत्र में कृषक उत्पादक समूहों (FPG) का गठन लगभग 10–20 हेक्टेयर कन्टीगुअस क्षेत्रफल के कृषकों को सहभागी बनाते हुए किया जायेगा।
2. कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा भविष्य में कृषक उत्पादन संगठन पंजीकृत कराया जा सकेगा।
3. गठित कृषक उत्पादक समूहों की प्रतिपादित आवश्यकता के अनुरूप यथाआवश्यक क्षमतावर्धन कराया जायेगा।
4. गठित कृषक उत्पादक समूहों द्वारा निर्धारित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित क्षेत्रों में उनका कौशल विकास क्षेत्र की विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा।

2. कृषक उत्पादक समूहों की सदस्यता और पात्रता–

1. कृषक उत्पादक समूह में समान रूचि, समान विशेषता एवं एक ही ग्राम क्षेत्र के किसान होने चाहियें ताकि उनमें बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
2. कृषक उत्पादक समूहों के सदस्य एक ही परियोजना क्षेत्र/गांव के निवासी होने चाहिये जिसे उनके पहचान–पत्र (वोटर कार्ड/आधार कार्ड/भू–अभिलेख) के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

3. कृषक उत्पादक समूह का प्रबंधन –

1. नियमित अंतराल पर समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक रूप से होगी। बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी। बैठक की कार्यवाही अभिलेखित की जायेगी। कोई भी नियम या प्रस्ताव समूह के सदस्यों की सहमति से पारित किया जा सकेगा।
2. समूह का लेखा–जोखा समूह के कोषाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से व्यवस्थित एवं अभिलेखित किया जाएगा।
3. समूह संचालनार्थ सदस्यों की सहमति से पदाधिकारी चुनें जायेंगे। ये पदाधिकारी सामान्यतया दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त समूह के सदस्यों की सहमति से परिवर्तित किये जायेंगें जिससे सभी सदस्यों को नेतृत्व का अवसर मिल सके तथा उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके।

4. कृषक उत्पादक समूहों के गठन का उद्देश्य –

1. कृषक परिवारों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, समूह के उद्यम हेतु बेहतर बाजार, संसाधनों और बुनियादी ढांचे तक उनकी पहुंच बढाना।
2. बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि की सामूहिक खरीद और उत्पादों की सामूहिक बिक्री से फसल उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करना।
3. क्षमता विकास हेतु कृषि, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता में कृषकों के कौशल को बढ़ाना।
4. वित्तीय संसाधनों तक पहुंच सरकारी योजनाओं, ऋणों और सब्सिडी तक कृषकों की पहुंच सुनिश्चित करना।
5. पर्यावरण–अनुकूल कृषि पद्धतियों एवं कृषि में विविधता को बढ़ावा देना।
6. सामूहिक खेती, उत्पादन, विपणन और संसाधन प्रबंधन के माध्यम से किसानों हेतु रोजगार सृजन एवं उनके परिवारों की आय में वृद्धि।
7. समूहों को कृषि की नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण और कृषि व्यापार की जानकारी प्रदान करना।
8. समूहों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कृषि उत्पाद, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण की गतिविधियों तथा फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में प्रशिक्षण।
9. समूहों को उनके उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग, ब्राडिंग एवं उत्पाद प्रमोशन की जानकारी प्रदान करना।
10. कृषक उत्पादक समूहों की सीधी पहुंच बाजारों तक बनाना तथा उन्हें डिजिटल मार्केटिंग प्लैटफार्म से जोडना।

5. कृषक उत्पादक समूहों का क्षमतावर्धन कार्यक्रम और प्रशिक्षण –

1. कृषक उत्पादक समूहों के संचालन संबंधी विषय पर आवश्यकता आधारित क्षमतावर्धन किया जायेगा।

2. कृषक उत्पादक समूह के कृषकों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, एवं कृषि उपकरणों के प्रयोग पर शिक्षित किया जाएगा।
3. कृषक उत्पादक समूहों द्वारा चिन्हित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित क्षेत्रों में उनका कौशल विकास, क्षेत्र की विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा।
4. कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों को कृषि की उन्नत तकनीकियों, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन तथा फार्म मशीनरी बैंक के संचालन इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
5. कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों को कृषि आधारित गतिविधियों जैसे उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि में भी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
6. विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने हेतु क्षेत्र के लीड बैंकों के साथ कृषक समूहों के संवाद हेतु बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
7. कृषकों को वित्तीय प्रबंधन, रिकॉर्ड–कीपिंग, और सरकारी योजनाओं एवं बाजार से जुड़ने की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. कृषक उत्पादक समूहों को वित्तीय सहायता और ऋण –

1. राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत नियमानुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सभी कृषक उत्पादक समूह पात्र होंगे।
2. कृषक उत्पादक समूहों को बैंक से कम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा।
3. कृषक उत्पादक समूह को कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, आदि के लिए नियमानुसार सहयोग किया जायेगा।
4. कृषक उत्पादक समूहों को विभिन्न राजकीय कृषि योजनाओं के अन्तर्गत सब्सिडी, बीमा, एवं क्रेडिट लिंकेज प्राप्त करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा।

7. कृषक उत्पादक समूहों का बाजार से जुड़ाव –

1. उत्पादों का साझा विपणन किया जाएगा ताकि उत्पादों की बेहतर कीमत कृषि उत्पादक समूह को मिल सके।
2. कलेक्टिव ब्रांडिंग कृषक उत्पादक समूहों द्वारा उत्पादों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में एक पहचान बनाना।
3. ई–मार्केटिंग समूह के उत्पादों को ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर भी बेचने हेतु प्रोत्साहित करना।
4. कृषक उत्पादक समूह के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सरकार के सहयोग से बाजारों में सीधा जुड़ाव स्थापित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।

5. स्थानीय स्तर पर समूह को कृषि हाट, मेलों/महोत्सव/प्रदर्शनी एवं अन्य बाजारों में अपने उत्पाद बेचने की सुविधा तथा सहयोग प्रदान करना।
6. समूहों को कृषि मेलों एवं प्रदर्शनियों, एक्सपो आदि में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना।
7. कृषक उत्पादक समूहों द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्था से सीधे जोड़ने का प्रयास करना।

8. कृषक उत्पादक समूहों को संचालन हेतु प्रशासनिक सहायता –

1. परियोजना के सहभागी संगठनों तथा जिला परियोजना क्रियान्वयन ईकाई द्वारा कृषक समूहों के गठन एवं उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग किया जायेगा।
2. कृषि, उद्यान तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा आयोजित कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकी के प्रशिक्षणों में समूह के सदस्यों को सहभाग करने हेतु सहयोग किया जायेगा।
3. कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर कृषकों को इनसे जोड़ा जायेगा।
4. कृषक समूहों को यूपीएग्रीज़ परियोजना अन्तर्गत देय सुविधाओं, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों से आवश्यकतानुसार यथा समय जोड़ा जायेगा।

9. कृषक उत्पादक समूहों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

1. समूह की गतिविधियों एवं उद्यम प्रगति का अनुश्रवण कृषक समूह के पदाधिकारियों द्वारा अपनी बैठकों में किया जायेगा, जिसके लिए परियोजना के सहयोगी संगठन द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा।
2. समूह की गतिविधियों एवं उद्यम के प्रगति का अनुश्रवण परियोजना के सहयोगी संगठन के माध्यम से जिला परियोजना क्रियान्वयन ईकाई द्वारा पाक्षिक एवं राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई द्वारा मासिक आधार पर की जायेगी।
3. समूह की गतिविधियों एवं सम्यक प्रगति हेतु एक मासिक प्रपत्र राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई द्वारा विकसित कर क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता तथा जिला परियोजना क्रियान्वयन ईकाई के संबंधित कार्मिकों को दिया जायेगा।
4. समूह की गतिविधियों एवं प्रगति की समीक्षा जिले स्तर पर गठित जिला स्तरीय अधिशासी समिति के द्वारा निश्चित अंतराल पर की जाएगी।
5. राज्य स्तर पर परियोजना में कार्यरत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा समूह की गतिविधियों की प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा।
6. समूहों की समीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर उनकी रेटिंग की जाएगी। समूहों की रेटिंग का प्रपत्र राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई द्वारा तैयार कर जिला परियोजना क्रियान्वयन ईकाई एवं सहभागी संगठनों को उपलब्ध कराया जायेगा।